

पत्रांक 10 / न 4-18 / 10.....
बिहार सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

प्रेषक,

दशरथ राम
विशेष निदेशक (मा० शि०)
सेवा मे.

अध्यक्ष
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र, 2 कम्प्युनिटी सेंटर,
नई दिल्ली-110092
पटना दिनांक
पिंडिया
आर० ढी० पब्लिक स्कूल, विक्रम विहार, टेकारी, गया को अनापति प्रमाण-पत्र
निर्गत।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध मे निदेशानुसार सूचित करना है कि सरकारी अधिसूचना संख्या-238 दिनांक-03.04.2006 के आलोक मे जिला शिक्षा पदाधिकारी, गया से प्राप्त जौच प्रतिवेदन एवं विद्यालय प्रबंधन के द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात की समीक्षा अनापति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु गठित विभागीय समिति द्वारा दी गई तथा आर० ढी० पब्लिक स्कूल, विक्रम विहार, टेकारी, गया को सी० बी० एस० ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापति प्रमाण-पत्र निर्गत करने दी अनुशंसा की गयी है।

समिति की अनुशंसा के आलोक मे समीक्षोपचाना स्थिति निम्नवत है :-

1. यह विद्यालय उत्तम देव मानव कल्याण संस्थान, रिकावर्गज, गया के अधीन संचालित है। इस ट्रस्ट मे किसी एक व्यक्ति/परिवार का प्रभुत्व नहीं है। सोसाइटी के प्रथम राष्ट्रस्थ का व्यौरा दिया गया है तथा शापद पत्र भी दिया गया है।
2. विद्यालय प्रबंधक द्वारा किसी अन्य निवारित सोसाइटी/न्यास के फँक्चाईजी अध्ययन किसी विद्यालय के ब्रांड नेम उपयोग नहीं करने का दावा किया है।
3. विद्यालय जो वर्तमान मे अपने नवनिर्मित भवन मे संचालित है, जहा 02 एकड 25 ढी० भूमि उपलब्ध है। विद्यालय को पर्याप्त उपस्कर पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला भी उपलब्ध है। केन्द्रीय माध्यमिक उपलब्ध है। विद्यालय को पर्याप्त उपस्कर पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला भी उपलब्ध है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से स्थल निरीक्षण कर लुनिश्चत करना होगा कि विद्यालय की आवासानी संरक्षना एवं नियन्त्रण और ऐ मानक के अनुरूप है।
4. विद्यालय मे शिक्षक की नियुक्ति समाचार पत्रों मे विडापन निकालार प्रिंटर बाब्क्या के द्वारा किया गया है, परन्तु पत्ता कोई साझे प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो कि नियुक्ति मे लिखित नामों नहीं उन्नासन नहीं हुए। पार्टिसन दरली नई हो; विद्यालय मे 14 लिप्ति हैं: दी० एस० ई० नई दिल्ली को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षकों की योग्यता प्रशिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के नापदण्डों के अनुरूप है।
5. विद्यालय मे हिन्दी अनिवार्य रूप से पढाये जाने का दावा किया गया है।
6. विद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्कों, वार्षिक लेखा अंकेक्षण तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष सार्वजनिक करने का आशासन दिया गया है। विद्यालय अपने आशासन के अनुरूप कार्रवाई करे इसे सी० बी० एस० ई० नई दिल्ली को सुनिश्चित करना होगा।
7. विद्यालय वो द्वारा लिखित रूप से सहमति दी गयी है कि उसे विभागीय अधिसूचना संख्या-238 दिनांक 03.04.2006 मे उल्लेखित अपेक्षित शर्ते स्वीकार है।

अपेक्षित शर्तों के अनुसार —

- (i) विद्यालय में क्षमता का 25 प्रतिशत नामांकन पड़ोस ने नियास करने वाले परिवार के बच्चों का नि:शुल्क किया जायेगा तथा उनसे ट्यूशन शुल्क अध्यवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा। ऐसे बच्चों की श्रेणी में अनुशूदित जाति, अनु० जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग, बालिकाएं तथा सामाज्य श्रेणी के परिवार जिनकी आय अधिकतम 60,000/- रुपया प्रतिवर्ष होंगे को रखा गया है।
- (ii) विद्यालय ने नर्सरी/कौ० जी० अध्यवा प्राथमिक कक्ष में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार (बच्चों एवं माता/पिता सहित) नहीं लिया जायेगा। अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो खुले तरीका से Draw of Lots के नाम्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जायेगा।
- (iii) नर्सरी/कौ० जी० लक्ष प्राथमिक कक्षों के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्ष का नामांकन हेतु अधिकतम दूरी 3 किलोमीटर तक रहेगी।
- (iv) जिन बच्चों का नामांकन नहीं होता है उनसे लौ गई आवेदन शुल्क की राशि का 80 प्रतिशत राशि बापस लौटाने की व्यवस्था होगी।

8. यद्यपि कि विद्यालय का निरीक्षण विभागीय पदाधिकारी के द्वारा किया गया है, फिर भी सी० बी० एस० ई०, नई दिल्ली अपने स्तर से जौच कर यह सुनिश्चित हो लें कि विद्यालय उनके निर्धारित मापदण्ड के आधार पर संचालित है।

9. साथ ही योंड का यह सुनिश्चित करना होगा कि लवधित विद्यालय के द्वारा अपनी सहमति के अनुसार अनियार्य एवं अपेक्षित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है। स्कूल छोड़ यह हार्ट सार्वजनिक करनी होगी तथा इसका त्रैलेख प्रोस्पेक्टस एवं ऐब्साईट में करना होगा। शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण—पत्र बापस ले लिया जायेगा तथा सम्बद्ध रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।

10. विभागीय पत्रांक-46, दिनांक 18.01.2008 द्वारा शिक्षक/छात्रों को शारीरिक दण्ड नहीं दिए जाने संबंधी आदेशों का विद्यालय द्वारा पालन करना होगा।

11. विद्यालय विहार सरकार के शिक्षा विभाग अथवा स्वास्थ्य विभाग के नियन्त्री पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण हेतु किसी भी समय छुला रहेगा।

12. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में तथा वर्णित शर्तों के आधार पर आर० ढी० पब्लिक स्कूल, विक्रम विहार, टेकारी, गया को सी० बी० एस० ई०, नई दिल्ली से सम्बद्ध हेतु अनापत्ति प्रमाण—पत्र दी जाती है।

अनुलग्नक :— जिला शिक्षा पदाधिकारी गया को जौच प्रतिवेदन संस्थान।

विश्वासमाजन

(दशरथ राम)
विशेष निदेशक माध्यमिक शिक्षा

ज्ञापांक:

दिनांक:

प्रतिलिपि : जिला शिक्षा पदाधिकारी गया को उनके पत्रांक 1001 दिनांक 13.05.2010 के प्रस्तुति में सुनानाथ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक 134

दिनांक 04.02.11

प्रतिलिपि १३४ आर० ढी० पब्लिक स्कूल, विक्रम विहार, टेकारी, गया को सुनानाथ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

विशेष निदेशक माध्यमिक शिक्षा
०५.२.११